डिकरी व मुकदमें इब्तदाई

(आर्डर 20 रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix"D"-1)
अज अदालत उपखण्ड अधिकारी नदबई
व इजलास श्री गंगाधर मीना ,आर.ए.एस

मु0 उनवान नैमसिंह बनाम देवीसिंह वगै0

दावा बाबत् 188 रा0का0 अधिनियम

मुकदमा नंबर 108/21

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–ब–रू ......– व हाजरी वादी मिनजानिब मुद्दालय पेश होकर , हुक्म दिया जाता है व मिनजानिब मुद्दठ व .... डिकरी दी जाती है कि

विवादित आराजी खसरा संख्या 1101 वाके ग्राम उसेर तहसील नदबई में वादी की खातेदारी आराजी में प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 किसी प्रकार से दखलदांजी नहीं करें एवं टीनशेड आदि डालकर अवैध अतिक्रमण नहीं करें एवं मौके की यथास्थिति बनाए रखें। पर्चा डिक्री जारी हो।

खर्चा इस मुकदमें के मयसुद व शरह बेज – मुबलिग – – – – – – – बावत – – – – – – – – – – – ———फीसदी सालाना आज की तारीख सं तरीख व सुलयाबी तक —————— की अदा करें ।

दसब्त व मुहर अदालत के आज तारीख 07.04.2025 को जारी की गई ।

दस्तखत————————— 7/5/25

मुहर

उपखण्ड अधिकारी
नदबई (भरतपुर)

मुददई	रूपया	पैसा	मुद्दालय	रूपया	पैसा
स्टाम्प अराजी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			म्हनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमीश्नर			बवत इजराय हुक्मनामा		
बावत इजराय हुक्म नामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक					
मीजान			मीजान		

Signature Not Verified

Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.07.11 18:06:26 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

1. नेमसिंह पुत्र हरफूल जाति जाट निवासी उसेर तहसील नदबई (भरतपुर) राज.।

वादी

बनाम

1. देवीसिंह पुत्र हरफूल जाति जाट निवासी उसेर तहसील नदबई (भरतपुर) राज.
2. राजवीर पुत्र देवीसिंह जाति जाट निवासी उसेर तहसील नदबई (भरतपुर) राज.
3. सतवीर पुत्र देवीसिंह जाति जाट निवासी उसेर तहसील नदबई (भरतपुर) राज
4. उर्मिला पत्नी देवीसिंह जाति जाट निवासी उसेर तहसील नदबई (भरतपुर) राज
5. संगीता पत्नी राजवीर जाति जाट निवासी उसेर तहसील नदबई (भरतपुर) राज

—अपील प्रतिवादीगण

6. इलाइची पत्नी रामचरन जाति जाट निवासी उसेर तहसील नदबई (भरतपुर) राज।
7. गोविन्द सिंह पुत्र गिर्राज जाति जाट निवासी उसेर तहसील नदबई (भरतपुर) राज
8. बाबू पुत्र किशन जाति जाट निवासी उसेर तहसील नदबई (भरतपुर) राज
9. बीरबल पुत्र किशन जाति जाट निवासी उसेर तहसील नदबई (भरतपुर) राज
10. योगेन्द्र पुत्र किशन जाति जाट निवासी उसेर तहसील नदबई (भरतपुर) राज
11. रामचरन पुत्र मूली जाति जाट निवासी उसेर तहसील नदबई (भरतपुर) राज
12. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नदबई।
13. बीआरकेजीबी नदबई।
14. एसबीआई नदबई जरिए प्रबंधक।

तरतीबी प्रतिवादीगण

7/4/25

Signature Not Verified

Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.07.11 18:06:26 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नदबई (भरतपुर)

(पीठासीन अधिकारी श्री गंगाधर मीणा R.A.S.)

प्रकरण सं. 108/21
किस्म दावा 188 आर.टी.ए.
सीसीएमएस नंबर 2021/223
निर्णय दिनांक......07.04.2025.....

1. नैमसिंह पुत्र हरफूल जाति जाट निवासी उसेर तहसील नदबई (भरतपुर) राज.।

वादी

बनाम

1. देवीसिंह पुत्र हरफूल जाति जाट निवासी उसेर तहसील नदबई (भरतपुर) राज.
2. राजवीर पुत्र देवीसिंह जाति जाट निवासी उसेर तहसील नदबई (भरतपुर) राज.
3. सतवीर पुत्र देवीसिंह जाति जाट निवासी उसेर तहसील नदबई (भरतपुर) राज
4. उर्मिला पत्नी देवीसिंह जाति जाट निवासी उसेर तहसील नदबई (भरतपुर) राज
5. संगीता पत्नी राजवीर जाति जाट निवासी उसेर तहसील नदबई (भरतपुर) राज

—असल प्रतिवादीगण

6. इलाइची पत्नी रामचरन जाति जाट निवासी उसेर तहसील नदबई (भरतपुर) राज।
7. गोविन्द सिंह पुत्र गिर्राज जाति जाट निवासी उसेर तहसील नदबई (भरतपुर) राज
8. बाबू पुत्र किशन जाति जाट निवासी उसेर तहसील नदबई (भरतपुर) राज
9. बीरबल पुत्र किशन जाति जाट निवासी उसेर तहसील नदबई (भरतपुर) राज
10. योगेन्द्र पुत्र किशन जाति जाट निवासी उसेर तहसील नदबई (भरतपुर) राज
11. रामचरन पुत्र मूली जाति जाट निवासी उसेर तहसील नदबई (भरतपुर) राज
12. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नदबई।
13. बीआरकेजीबी नदबई।
14. एसबीआई नदबई जरिए प्रबंधक।

तरतीवी प्रतिवादीगण

उपस्थित श्री भरतलाल चौधरी एड0(वादी)

श्री [illegible] एड0(प्रतिवादी)

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.07.11 18:06:26 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय [illegible] दावा 188 आर.टी.ए.

1. यह कि विवादित हाल आराजी खसरा संख्या 1101 रकबा 0.43 वाके ग्राम उसेर तहसील नदबई में स्थित है। नकल जमाबंदी संवत 2075—78 संलग्न है।

Scanned with OKEN Scanner

2. यह कि विवादित आराजी वादपत्र वादी एवं तरतीवी प्रतिवादीगण संख्या 6 लगायत 11 की खातेदारी काश्तकारी की आराजी है। जिस पर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 6 लगायत 11 काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं। लेकिन विवादित आराजी से असल प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 का कोई संबंध सरोकार नहीं है। वे लठैत व झगडालू किस्म के व्यक्ति हैं। जिसके कारण वह विवादित आराजी पर लठ्ठ के बल पर कब्जा कर टीन आदि डाल कर अतिक्रमण करने पर आमादा है।

3. यह कि प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 5 द्वारा वादी को वमुकाम उसेर तहसील नदबई पर दिनांक 02.10.2021 को यह एलानियां धमकी दी है कि वह विवादित आराजी में जबरदस्ती लठ्ठ के बल पर कब्जाकर टीन आदि डाल कर रहेंगे जबकि उन्हें ऐसा करने का कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं है। अगर प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 दी गई धमकी में कामयाब हो गए तो वादी को अजीम क्षति होगी। अतः वादी प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 को जरिए स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद करा पाने के अधिकारी हैं कि वह विवादित आराजी में मदाखलत मजाहमत न करें। जबरदस्ती लठ्ठ के बल पर वादी की आराजी पर टीन आदि डालकर कब्जा न करें तथा मौके की यथास्थिति बनाए रखें।

वादीगण का वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगणों को जरिए नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 की ओर से श्री जगवीर सिंह एडवोकेट उपस्थित हुए एवं शेष प्रतिवादीगणों के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी संख्य1 लगायत 5 की ओर से जबाव दावा पेश किया गया जो सक्षिप्त में निम्न प्रकार है–

1. यह कि वादी द्वारा जो दावा खातेदारी भूमि वाके उसेर तहसील नदबई बताकर पेश किया गया है जिसे वादी का यह कहना कि प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 5 का कोई संबंध सरोकार नहीं है, अस्वीकार है। क्योंकि देवीसिंह द्वारा उनवान दावा मुकदमा नंबर 10/2023 देवीसिंह बनाम नैमसिंह न्यायालय श्रीमान एसीजेएम नदबई दावा बाबत स्थायी निषेधाज्ञा, आगामी पेशी 05.07.24 नियत है। जिसमें उक्त जायदाद देवीसिंह की [illegible] की जायदाद है। जिसमें देवीसिंह द्वारा पुख्ता रिहायशी निर्माण किया हुआ है एवं घरेलू विद्युत कनेक्शन लगा हुआ है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.07.11 18:06:26 IST
Reason: SelfAttested

7/5/25

Scanned with OKEN Scanner

2. यह कि प्रतिवादीगण द्वारा आज व आज से पहले वादी को कोई धमकी नहीं दी है। अतः दावा वादी काबिल खारिजी के है।

वादीगण के वादपत्र एवं प्रतिवादीगण के अभिवचनों के आधार पर न्यायालय हाजा द्वारा निम्नांकित तनकीयात कायम की गई।

1. आया विवादित आराजी वादी एवं तरतीवी प्रतिवादी की खातेदारी काश्तकारी की आराजी है। वादीगण प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 5 को आराजी में कब्जा, अतिक्रमण न करने बाबत् पाबंद करा पाने के अधिकारी है।

   — जिम्मेवादीगण

2. आया विवादित आराजीयात प्रतिवादी संख्या 01 की पुश्तैनी आराजी है। जिसमें कमरे आदि बने हुए है। —जिम्मेप्रतिवादीगण
3. आया विवादित आराजी का मुकदमा न्यायालय श्रीमान एसीजेएम महोदय, नदबई में विचाराधीन है। —जिम्मेप्रतिवादीगण
4. दीगर दादरसी।

वादी अधिवक्ता द्वारा अपने दावे के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में नकल जमाबंदी संवत 2075—78 वाके उसेर प्रदर्श 1, जांच रिपोर्ट थानाधिकारी नदबई, मौका पर्चा वाके ग्राम उसेर, नक्शा मौका घटना स्थल पेश किए गए। मौखिक साक्ष्य के रूप में नैमसिंह पुत्र हरफूल जाति जाट निवासी उसेर, तालेवर पुत्र खचेरा जाति जाट निवासी उसेर, मलखान पुत्र बुद्धाराम जाति जाट निवासी उसेर के शपथ पत्र पेश किए गए जिनसे जिरह प्रतिवादी वकील द्वारा की गई।

प्रतिवादीगण अधिवक्ता द्वारा अपने जबाव के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में नकल ऑर्डरशीट प्रदर्श डी 1 व दावा माननीय न्यायालय एसीजेएम नदबई प्रदर्श डी 2 पेश किए गए। मौखिक साक्ष्य के रूप में देवीसिंह पुत्र हरफूल जाति जाट निवासी उसेर के शपथ पत्र पेश किए गए। जिनसे जिरह वकील वादी द्वारा की गई। अतः पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई।

हमने उभयपक्षकारान के विद्वान अधिवक्ताओ की बहस अन्तिम सुनी गई। बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। निर्णय तनकीवार विवेचन इस प्रकार है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.07.11 18:06:26 IST
Reason: SelfAttested

7/4/25

Scanned with OKEN Scanner

1. आया विवादित आराजी वादी एवं तरतीवी प्रतिवादी की खातेदारी काश्तकारी की आराजी है। वादीगण प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 5 को आराजी में कब्जा, अतिक्रमण न करने बाबत् पाबंद करा पाने के अधिकारी है। – उक्त तनकी को सिद्ध करने का भार वादी का था। नकल जमाबंदी संवत 2075–78 में विवादित आराजी खसरा नंबर 1101 वाके ग्राम उसेर तहसील नदबई वादी एवं तरतीवी प्रतिवादीगण के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। वादी की खातेदारी आराजी होने के कारण वादी प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 5 को अपनी खातेदारी काश्तकारी की आराजी में कब्जा, अतिक्रमण न करने हेतु पाबंद करा पाने के अधिकारी हैं। अतः उक्त तनकी वादी के हक में तथा प्रतिवादीगण के विरूद्ध तय की जाती है।

2. आया विवादित आराजीयात प्रतिवादी संख्या 01 की पुश्तैनी आराजी है। जिसमें कमरे आदि बने हुए है।– उक्त तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादीगण का था। प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य से यह साबित नहीं होता है कि उक्त आराजी प्रतिवादी संख्या 01 की पुश्तैनी आराजी है। उक्त आराजी के संबंध में वादी द्वारा प्रस्तुत रजिस्टर्ड बयनामा दिनांक 30.08.2017 से यह साबित होता है कि उक्त विवादित आराजी संख्या 1101 वाके ग्राम उसेर वादी की खरीदशुदा स्वअर्जित आराजी है। अतः उक्त तनकी प्रतिवादीगण के विरूद्ध एवं वादी के हक में तय की जाती है।

3. आया विवादित आराजी का मुकदमा न्यायालय श्रीमान एसीजेएम महोदय, नदबई में विचाराधीन है। – उक्त तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादीगण का था। प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत नकल ऑर्डरशीट व दावा माननीय न्यायालय एसीजेएम नदबई से स्पष्ट है कि उक्त विवादित आराजी का मुकदमा माननीय न्यायालय एसीजेएम नदबई में विचाराधीन है। अतः उक्त तनकी प्रतिवादीगण के हक में तय की जाती है।

उपरोक्त तनकीवार निर्णय विवेचन के आधार पर स्पष्ट है कि कि विवादित आराजी खसरा संख्या 1101 वाके ग्राम उसेर तहसील नदबई वादी एवं तरतीवी प्रतिवादीगण संख्या 6 लगायत 11 की खातेदारी आराजी है। उक्त विवादित आराजी वादी की क्रयशुदा आराजी है जिस पर वादी काबिज [illegible] त करते चले आ रहे हैं। चूंकि आराजी खसरा नंबर 1101 वाके ग्राम उसेर वादी एवं तरतीवी प्रतिवादीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.07.11 18:06:26 IST
Reason: SelfAttested

7/4/25

Scanned with OKEN Scanner

...या 6 लगायत 11 के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज होने एवं खातेदारी अधिकार प्राप्त ...ी के कारण प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 5 को वादी की खातेदारी आराजी में दखलदांजी, अवैध अतिक्रमण एवं टीनशेड आदि नहीं डालने हेतु स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री से पाबंद किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः वादी का वादपत्र स्वीकार योग्य है।

::आदेश::

अतः आदेश है कि विवादित आराजी खसरा संख्या 1101 वाके ग्राम उसेर तहसील नदबई में वादी की खातेदारी आराजी में प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 किसी प्रकार से दखलदांजी नहीं करें एवं टीनशेड आदि डालकर अवैध अतिक्रमण नहीं करें एवं मौके की यथास्थिति बनाए रखें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 07.04.2025 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

7/4/25

(गंगाधर मीणा R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी नदबई
उपखण्ड अधिकारी
नदबई (भरतपुर)

सत्यमेव जयते

Signature Not Verified

Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.07.11 18:06:26 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner